क्रमांक एफ0 8 (1) राज/वाद/09 जयपुर, दिनांक 13/5/11

:: आदेश ::

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 2 (2) न्याय/2010, दिनांक 18.02.2011 द्वारा ड्रग्स एण्ड कोसमेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36 ए.बी. की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राज्य के समस्त जिला एवं सैशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (ए) व (सी), धारा 28-ए व धारा 28-बी तथा धारा 30 की उपधारा 1 के खण्ड (बी) के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी 2 क्षैत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

अतः उक्त न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को उपरोक्त अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से

संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक
(राजकीय वादकरण)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदा, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
4. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
5. महाधिवक्ता, राज0 जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. संबंधित जिला कलक्टर।
9. समस्त लोक अभियोजक।
10 रक्षित पत्रावली।

13/05/11

संयुक्त विधि परामर्शी एवं अपर निदेशक
(राजकीय वादकरण)

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः-डीसी/विधि/2011/20 दिनांक 28-4-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
2. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर डाउन लोड करने का श्रम करें ।

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर